

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/आईईडी/2026-27 / Reader Allowance/

दिनांक : यथा हस्ताक्षर

दिशा-निर्देश **(सत्र 2026-27)**

रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low Vision)

(IEd-Samagra-Reader Allowance)

अवधारणा एवं उद्देश्य :-

राज्य में समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं (CwSN) का मुख्यधारा में समायोजन, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढ़ाकर उत्साहवर्धन करने, शैक्षिक एवं थैरेपिक संबलन प्रदान करने, भेदभाव को दूर कर समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण तथा अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना सत्र 2026-27 के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं (CwSN) का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत दृष्टिदोष से प्रभावित CwSN छात्र-छात्राओं को

रीडर भत्ता देय होता है। सत्र 2026-27 में रीडर भत्ता (Reader Allowance) उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जानी है:-

- **श्रेणी :-** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता में से दृष्टिदोष (Blindness and Low Vision) से प्रभावित राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत CwSN छात्र-छात्राओं को रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) देय है।
- **पात्रता :-** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित विकलांगता में से दृष्टिबाधित (Blindness and Low Vision) श्रेणी के 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से प्रभावित CwSN छात्र-छात्राओं को जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उन्हें रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) देय होगा।
- **अवधि :-** 10 माह के लिए
- **राशि :-** ₹200/-प्रति माह
- रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) प्रदान किये जाने हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक माह जुलाई, 2026 में जिले के समस्त ब्लॉक के सीबीईओ के माध्यम से पीईईओ/यूसीईईओ संस्था प्रधानों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।



- प्राप्त आवेदन पत्रों में से चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाएगी।
 1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक — अध्यक्ष
 2. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक — सदस्य सचिव
 3. सहायक परियोजना समन्वयक/कार्यक्रम अधिकारी (IED) — सदस्य
 4. सहायक लेखाधिकारी — सदस्य
 5. संदर्भ व्यक्ति (CwSN) जिला मुख्यालय — सदस्य
- उक्त कमेटी समस्त आवेदन पत्रों की जाँच करते हुए समस्त पात्र छात्र-छात्राओं का चयन कर रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) जारी किए जाने की अनुशंसा करेगी।
- समय पर राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत चयनित छात्र-छात्राओं हेतु निर्धारित राशि जिला परियोजना समन्वयक CBEO को एवं CBEO द्वारा संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ/संस्थाप्रधान को विस्तृत एवं स्पष्ट निर्देशों के साथ लिमिट जारी करनी होगी, जिससे छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह राशि प्राप्त हो सके।

माह का नाम जिसमें संबंधित को राशि जारी करनी है।	माह जिनके लिए रीडर भत्ते का भुगतान किया जाना है।
जुलाई, 2026	जुलाई, अगस्त, सितम्बर (3 माह)
अक्टूबर, 2026	अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर (3 माह)
जनवरी, 2027	जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल (4 माह)

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य किसी योजना से जिन छात्र-छात्राओं को रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) की राशि प्राप्त हो रही है, उन छात्र-छात्राओं को यह राशि देय नहीं होगी।
- जिलों को आवंटित लक्ष्यानुसार उक्त राशि का भुगतान जिले के समावेशी शिक्षा की उपमद "Provision for Children with Special Needs (CWSN)- Student Oriented Components (R)- Reader Allowance- For only VI and Low Vision (C724 & C2615)" में आवंटित राशि में से व्यय किया जायेगा।
- उक्त भत्तों का भुगतान संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा छात्र-छात्राओं की न्यूनतम 40 प्रतिशत उपस्थिति प्रमाणित करने के पश्चात् किया जाएगा जिसकी सूचना सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित सीबीईओ को तथा सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित की जायेगी।

विशेष बिन्दु :-

- जिला स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला कलक्टर, जिला परिषद्, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग आदि विभागों के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये जिससे अधिकाधिक पात्र छात्र-छात्राओं को लाभ मिल सके।



- जिले के पात्र सभी विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं को रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) दिया जाना है परन्तु, यदि बजट की अनुपलब्धता के कारण सभी पात्र छात्र-छात्राओं को भत्ता दिया जाना संभव नहीं हो पाता है तो समावेशी शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु Re-appropriation के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अविलम्ब परिषद् कार्यालय के समावेशी शिक्षा अनुभाग को भिजवाएं।
- रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) मद में जिलें को आवंटित राशि की सीमा में भौतिक लक्ष्य से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सकेगा। वित्तीय लक्ष्यों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
- रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) का भुगतान परिपत्र में दर्शाये अनुसार प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति आदि प्रमाणित कर निर्धारित प्रक्रिया सम्पादित करते हुए संबंधित छात्र-छात्रा के बैंक खाते में/गंभीर दोष वाले बच्चों के माता-पिता/अभिभावक तथा छात्र-छात्रा के संयुक्त खाते में संबंधित PEEO/UCCEO/संस्थाप्रधान (SNA) द्वारा जमा करवाया जायेगा।
- नवीन पात्र विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं के जीरो बैलेंस बैंक खाते सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खुलवाये जायेंगे तथा सम्बन्धित छात्र-छात्रा के बैंक खाते में रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) जमा कराने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित पीईईओ/यूसीईईओ/सीबीईओ द्वारा सीडीईओ एवं पदेन डीपीसी को प्रेषित किया जायेगा।
- समस्त व्यवस्था पात्र छात्र-छात्रा/संरक्षकों की सहमति से व एसएमसी सदस्यों को सूचित कर पूर्ण पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराई जायेगी।
- पात्र CwSN छात्र-छात्राओं के भत्ते की राशि स्वीकृत होने के उपरान्त राशि से वंचित रहने की स्थिति में संबंधित पीईईओ/संस्था प्रधान व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।
- पात्र CwSN छात्र-छात्राओं की तथा उनको देय रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) की सूचना PRABANDH portal पर अनिवार्य रूप से तिमाही जारी करते ही अपडेट करें। छात्र-छात्राओं की सूचना अपडेट करने के बाद रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) वाला ऑप्शन भी आवश्यक रूप से क्लिक करें अन्यथा दिये जाने वाले रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) की प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होगी।
- होमबेस्ड एज्युकेशन वाले बालक-बालिकाओं हेतु भत्तों की राशि भुगतान किये जाने हेतु उपस्थिति की बाध्यता नहीं रहेगी।
- शाला दर्पण पर CwSN विद्यार्थियों को भत्ते उपलब्ध कराने के संबंध में मॉड्यूल का निर्माण किया गया है।

मॉनिटरिंग क्रियाविधि (Monitoring Mechanism) :-

- CwSN विद्यार्थियों को हस्तान्तरित भत्ते की राशि की एन्ट्री विद्यालय/पीईईओ स्तर से शाला दर्पण पर बने मॉड्यूल में की जायेगी।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा शाला दर्पण पर पीईईओ/यूसीईईओ द्वारा की गई प्रविष्टि को प्रत्येक माह देखा जायेगा। कम प्रविष्टि होने पर पीईईओ/ब्लॉक से शीघ्र राशि हस्तान्तरित करवाया जाकर इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जायेगी।
- समस्त जिलों द्वारा शाला दर्पण पर किए गए प्रविष्टि का राज्य स्तर पर प्रतिमाह की 10 तारीख तक अवलोकन किया जायेगा।



- अवलोकन में कम प्रविष्टि वाले जिले को उक्त संबंध में अवगत कराया जायेगा व अपेक्षित प्रगति न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2. बजट प्रावधान :-

Sub Component	Activity	Sub Activity	Unit Cost	Target	
				Phy.	Fin. (In Lakh)
Provision for Children with Special Needs (CWSN)	Student Oriented Components (Upto Highest Class - VIII) (Student Specific) (Recurring)	Reader Allowance- For only VI and Low vision (C724)	0.02000	1355	27.10
	Student Oriented Components (Upto Highest Class - XII) (Student Specific) (Recurring)	Reader Allowance- For only VI and Low vision (C2615)	0.02000	1053	21.06
		Total budget (Ele & Sec)		2408	48.16

➤ लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(डॉ० रश्मि शर्मा)

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

दिनांक : यथा हस्ताक्षर

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2026-27/Reader Allowance/

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. उपायुक्त (योजना एवं शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low Vision)

हेतु आवेदन पत्र

फोटो मय
प्रमाणीकरण

1. नाम छात्र/छात्रा.....लिंग.....
2. पिता का नाम.....मोबाइल.....
3. जन्म तिथि.....कक्षा.....
4. स्थानीय पूर्ण पता.....
5. एस.आर. न0.....दोष का प्रकार..... एवं प्रतिशत.....
6. पीईईओ/यूसीईईओ.....ब्लॉक.....
7. विद्यालय.....यूडाईस कोड.....
8. आधार कार्ड नम्बर.....जनआधार नं.....
9. खाता संख्या छात्र/छात्रा.....IFSC Code.....
10. बैंक का नाम.....

हस्ताक्षर अभिभावक

ह0 छात्र/छात्रा

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है एवं छात्र/छात्रा उक्त विद्यालय की कक्षा.....में अध्ययनरत है तथा उक्त छात्र/छात्रा को रीडर भत्ता हेतु ₹.....प्रतिमाह भत्ता प्रदान किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक /

प्रधानाचार्य

मोहर सहित

कार्यालय उपयोग हेतु

उक्त समस्त तथ्यों की जांच के पश्चात् छात्र/छात्रा..... पुत्र/पुत्री श्री.....विद्यालय.....को रीडर भत्ता ₹ प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर

नाम पद सहित.....

शपथ-पत्र

मेरे द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा अन्य किसी योजना से रीडर भत्ता नहीं लिया जा रहा है।

हस्ताक्षर अभिभावक

ह0 छात्र/छात्रा



INCLUSIVE EDUCATION 2026-27

Reader Allowance-for only VI and Low vision (Rs. 200/ per Month for 10 Months)					
S.N.	Name of District	PHY.(ELE.)	FIN. (in Lakh)	PHY.(SEC.)	FIN. (in Lakh)
1	AJMER	114	2.28	68	1.36
2	ALWAR	28	0.56	21	0.42
3	BALOTARA	5	0.10	6	0.12
4	BANSWARA	9	0.18	5	0.10
5	BARAN	20	0.40	8	0.16
6	BARMER	30	0.60	30	0.60
7	BEAWAR	37	0.74	15	0.30
8	BHARATPUR	10	0.20	5	0.10
9	BHILWARA	50	1.00	35	0.70
10	BIKANER	60	1.20	45	0.90
11	BUNDI	25	0.50	25	0.50
12	CHITTAURGARH	20	0.40	12	0.24
13	CHURU	20	0.40	20	0.40
14	DAUSA	8	0.16	8	0.16
15	DEEG	10	0.20	5	0.10
16	DHAULPUR	35	0.70	15	0.30
17	DIDWANA-KUCHAMAN	13	0.26	21	0.42
18	DUNGARPUR	32	0.64	25	0.50
19	GANGANAGAR	95	1.90	60	1.20
20	HANUMANGARH	27	0.54	20	0.40
21	JAIPUR	68	1.36	50	1.00
22	JAISALMER	10	0.20	8	0.16
23	JALOR	10	0.20	8	0.16
24	JHALAWAR	67	1.34	47	0.94
25	JHUNJHUNU	10	0.20	7	0.14
26	JODHPUR	50	1.00	50	1.00
27	KARALI	28	0.56	23	0.46
28	KHAIRTHAL-TIJARA	17	0.34	9	0.18
29	KOTA	10	0.20	8	0.16
30	KOTPUTLI-BEHROR	15	0.30	19	0.38
31	NAGPUR	26	0.52	21	0.42
32	PALI	30	0.60	30	0.60
33	PHALODI	5	0.10	5	0.10
34	PRATAPGARH (RAJ.)	45	0.90	40	0.80
35	RAJSAMAND	45	0.90	45	0.90
36	SALUMBAR	20	0.40	23	0.46
37	SAWAI MADHOPUR	25	0.50	12	0.24
38	SIKAR	35	0.70	30	0.60
39	SIROHI	45	0.90	40	0.80
40	TONK	26	0.52	19	0.38
41	UDAIPUR	120	2.40	110	2.20
Total		1355	27.10	1053	21.06

